

**कर्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 2657 FP/UK/ROAD/31858/2018 दिनांक: देहरादून

17 जून, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताण्धगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 09-01-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 09-01-2019 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-


क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	On persual of KML file of the proposed area. it is noticed that complete alignment is going through reserve forest area (having flora and Fauna as mentioned in DFO's SIR) however, plenty of non forest land available along the road. State Govt may submit justification/ Clarification in this regard.	बिन्दु संख्या 01 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में वन विभाग द्वारा पूर्व में ही वन मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4.25 मी० है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्तावित समरेखण में मात्र 1.70 मी० चौड़ाई में कटान कर चौड़ीकरण किया जाना है। इसी समरेखण में न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
2	The benefited village is already on road and if the road is required deep inside the village then the alternative alignment shown in the KML file going through non forest land seems more suitable.	बिन्दु संख्या 03 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का ग्रेड Exceptional Grade में आता है, जबकि Exceptional Grade मात्र 100 मी० लम्बाई तक ही अनुमत्य होता है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का निर्माण पूर्ण रूप से 5.95 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रस्तावित समरेखण में पूर्व से ही लगभग 4.25 मी० चौड़ाई में वन मोटर मार्ग निर्मित है, जिस कारण मात्र 1.70 मी० चौड़ाई में चौड़ीकरण किया जाना है। तथा प्रस्तावित समरेखण में न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
3	State Govt may upload the KML file after marking the location of beneficiary village and their distance from existing road.	बिन्दु संख्या 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लाभान्वित गांव की Location, KML file में अंकित कर आनलाईन पोर्टल के पार्ट 1 में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
4	In justification of the proposal uploaded at para D in Part I. it is submitted that there is already existing light vehicle road (LVR) and the proposal is for widening of the same including felling of 122 trees. State Govt may submit the details of the construction of LVR, Construction year and provide information whether approval obtained under FCA.	बिन्दु संख्या 04 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में existing light vehicle road (LVR) एक वन मोटर मार्ग है, जिसका निर्माण वन विभाग द्वारा लीसा दुलान हेतु सन् 1980 से पूर्व में किया गया है।

5	In the SIR, DFO has mentioned about presence of rare/ endangered/unique species of Fauna like Black Bear and Leopard in the area. State Govt. May submit mitigation/Wildlife management plan containing the exisiting scenario, senarion after construction of road, impace on the wildlife and the mitigation measures to minimize the impace on wildlife. In one estimate for Rs 29,99,150/- has been submitted in the name of WL management plan which can't be accepted.	बिन्दु संख्या 05 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में वन्यजीव प्रबन्धन योजना का गठन वनक्षेत्राधिकारी, डुण्डा वन राजि की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा क्षेत्र में किये गये स्थलीय निरीक्षण व सर्वेक्षण की वास्तविकता के आधार पर तैयार किया गया है। जिसका पुनः आंकलित Rs 19,84,00.00 का संशोधित प्रस्ताव आनलाईन पार्ट II के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
6	No comments give against para 5.5 of SIR of DFO and the recommendation is sketchy. State Govt may submit SIR mentioning commenst each para and clear copy of recommendation may be submitted.	बिन्दु संख्या 06 के अनुपालन अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा संशोधित SIR पुनः आनलाईन पार्ट II के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
7	State Govt. may submit/upload the compelte muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal sites duly approved by the DFO.	बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्लान आनलाईन पोर्टल में पार्ट I के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
8	Name of road is incorrect in part V. State Govt. may submit/upload the Part V providing the correct name of the proposal.	बिन्दु संख्या 08 के अनुपालन में संशोधित पार्ट V को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,


16/4/20

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी